

52



III निगरानी/श्यापुर/भूरु/2018/0718

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प० ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक

/2018 निगरानी & श्यापुर &

श्री. 27-1-18
द्वारा आज 27-1-18
प्रस्तुत। प्राथमिक सर्वे हेतु
दिनांक 8-2-18 नियत।

नीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह
आयु 35 ताल, व्यवसाय-कृषि
निवासी ग्राम सरारी बुई, तहकराहल,
जिला श्यापुर & म०प०

गुलकृष्ण कौर
राजस्व मण्डल, न.प्र. ग्वालियर

--- आवेदिका

बनाम

- 1- रामपती पत्नि रघुवीर जाति मीणा
निवासी गोठरा, तहसील कराहल
जिला श्यापुर & म०प०
- 2- काड़ी बेबा रामस्वरूप जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्यापुर & म०प०
- 3- शिवप्रताप पुत्र प्रभूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्यापुर & म०प०
- 4- सुशीम पुत्र प्रभूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्यापुर & म०प०
- 5- बृजेरा पुत्र प्रभूलाल, जाति रावत
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल,
जिला श्यापुर & म०प०
- 6- त्रिवेणी देवी पुत्री कुन्दीलाल
निवासी ग्राम गोठरा, तहो कराहल
जिला श्यापुर & म०प०

3

11/2/17

- निवासी ग्राम गोठरा, श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 8 ॥ - रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल
जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 9 ॥ - गावत्री पुत्री हरिप्रसाद
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल,
जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 10 ॥ - गिरधर गोपाल पुत्र हरिप्रसाद
निवासी ग्राम गोठरा, तह० कराहल
जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 11 ॥ - पिस्ताबाई पत्नी सुरेश
निवासी ग्राम जाखदा, तह० कराहल
जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 12 ॥ - सन्तोष पत्नि दिलावर
निवासी ग्राम तिलपुरी, तह० कराहल,
जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 13 ॥ - लखू पुत्र घेतू निवासी ग्राम जाखदा,
तहसील कराहल, जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥
- ॥ 14 ॥ - म०प० शासन

----- अनापेक्षकता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० शूरा 1957, विरुद्ध आदेश दिनांक 29-8-2017 को अपर कलेक्टर जिला श्योपुर ॥ म०प० ॥ द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/12-13 निगरानी में पारित किया।

----- 0 -----

श्रीमान् जी, निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/शयोपुर/भू.रा./2018/0718

नीत कौर विरुध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर० सी० शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शयोपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p> <p>(आर०के० जैन) 16.5.19 सदस्य</p>	